न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 51/2016

वादीगण

1. गोमाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामनगर तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व अभिलेख में खातेदारी रेकर्ड बनाने में हुई लिपिकीय त्रुटिवश को सुधारने बाबत अर्न्तगत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

दिनॉक:– 17/01/2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 455 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै.मु. ढ़ाणी कृषि भूमि अन्य सहखातेदार पिता भूराराम के साथ प्रार्थी की 1/2 हिस्से की कब्जासुदा खातेदारी की आई हुई है। ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 455 में स्थित प्रार्थी की भूमि के राजस्व रेकर्ड में भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का घरेलू नाम गोविन्दराम लिख दिया गया जो कि लिपिकीय मानवीय त्रुटि है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम गोमाराम था। प्रार्थी का वास्तविक नाम गोमाराम है जो कि प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि समस्त दस्तावेजात में दर्ज है जो सही है एंव संरपच ग्राम पंचायत खारिया का प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के में भी उक्त नाम है। उक्त खसरा नम्बर 455 में भू– प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा संवत् 2046–2065 तथा वर्तमान जमाबन्दी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोमाराम के स्थान त्रुटिवश गोविन्दराम दर्ज कर दी गई है जो कि संशोधनीय है जिसे दुरूस्त कराने प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 455 कुल रकबा 0.08 हैक्टर में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम के स्थान पर गोमाराम दर्ज कर चालू जमाबंदी में इन्द्राज सही करने की कृपा करावें। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अकंन व इन्द्राज हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना– पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–2075 की प्रति, पर्चा लगान की प्रति,सरपंच ग्राम पंचायत खारीया द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या **RJ/25/195/210813** की प्रति,राशन कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड संख्या 352524891964 की प्रति प्रस्तुत की।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया है प्रार्थी का वास्तविक नाम गोमाराम है जबकि राजस्व रेकार्ड में लिपिकिय त्रुटिवश गोविन्दराम नाम दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजा इत्यादि का अवलोकन किया गया, चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–2075 ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 455 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी में गोविन्दराम पुत्र भूराराम 1/2 भूराराम पुत्र गोपीराम 1/2 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत खारिया द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनॉक 8.9.2016 अनुसार गोमाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी रामनगर का स्थाई निवासी है तथा गोमाराम को गोविन्दराम के नाम से भी जाना जाता है उक्त नाम का एक ही व्यक्ति है। पहचान पत्र संख्या **RJ/25/195/210813** अनुसार गोमा पुत्र भूरा अंकित है। राशन कार्ड में गोमाराम पुत्र भूराराम नाम अंकित है, आधार कार्ड संख्या 352524891964 में गोमाराम पुत्र भूराराम रामनगर प्रविष्टि अंकित है। पर्चा लगान में गोविन्दराम पुत्र भूराराम 1/2 भूराराम पुत्र गोपीराम 1/2 कौम कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। उपरोक्त समस्त तथ्यो से साबित है कि गोमाराम एवं गोविन्दराम एक ही नाम का व्यक्ति है, उक्त राजस्व भूमि खसरा नम्बर 455 रकबा 0.08 हैक्टर में गोविन्दराम पुत्र भूराराम का अशुद्व नाम को गोमाराम शुद्व किया जाना न्यायहित मे उचित है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 455 रकबा 0.08 हैक्टर में अंकित अशुद्व प्रविष्टि गोविन्दराम पुत्र भूराराम के स्थान पर गोमाराम पुत्र भूराराम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि शुद्व किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनॉक 17/01/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)